

2021/320

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पश्चात वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशीय रूप से स्वीकार कर उभयपक्षों की जरूरतों अस्थायी निषेधाज्ञा से वाकफ किया जाता है कि वे वादग्रस्त अरजी खसरा नं. 36 रकबा 1.0369 हेक्टर स्थित ग्राम विराजपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर पर दिनांक 20/11/2021 को तहसीलदार बस्सी के आदेश क्रमांक/LR/2021/789 दिनांक 11/11/2021 द्वारा खसरा नं. 35 ग्राम विराजपुरा तह. बस्सी की पत्थरगद्दी के अनुसार सीमांकन कर जो पत्थर लगवाये गये हैं उभयपक्ष उक्त पत्थरगद्दी अनुसार खसरा नं. 35 एवं खसरा नं. 36 ग्राम विराजपुरा तह. बस्सी की सीमाओं पर पत्थरगद्दी में तय सीमाओं के अनुसार प्राथमिक अप्रार्थीगण एक दूसरे की भूमि में किसी प्रकार की दखलबाजी न करेंगे। अपनी कब्जे कश्त की भूमि में अपने आधिकारी का प्रयोग करने में स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली नम्बर से कंग दौरा का तहसील शामिल दफ्तर है।</p>

पालय

द/प्रार्थ

नांक 3

कार्य

2/04



2021/820

फॉर्म अहकाम

अधीनस्थी कनाम 27.12.2019

प्राप्तक - महासक इलाखर, काशी

अहकामाक प्रत पुस्तकमा पेशक

18/11

अधीनस्थी

अधीनस्थी कनाम

अधीनस्थी

2021/820

अधीनस्थी 2020-21 को अहकाम
पुस्तकमा पेशक 18/11

2/6

अधीनस्थी कनाम